रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 25, 1987/फाल्गुन 6, 1908
No. 87] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 25, 1987/PHALGUNA 6, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 फरवरी, 1987

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 121/सं.ई(सी)ओ, 1977/ए एम(337) :—आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, नामश :—

1. (1) इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 6वां संशोधन आदेश, 1987 कहा जाए ।

(2) यह इसके सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में अनुसूची-3 में खुले सामान्य लाइसेंस सं. 3 में क्रम सं. 87 के सामने कालम-4 के अन्तर्गत वर्तमान शर्त के लिए निम्नलिखित शर्त प्रतिस्थापित की जाएगी, नामश :—

"आधारभूत रसायन, औषध एवं शृंगार प्रसाधन निर्यात संवर्धन परिषद के पास संविदाओं के पंजीकरण के मद्दे अनुमित निर्यात ।"

[फा. सं. 48/5/85-ई 2]

राजीव लोचन मिश्र, मुख्य नियंत्रक,
आयात निर्यात

पाद टिप्पणी :—मुख्य आदेश, अर्थात् निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 भारत के राजपत्र 1977 (असाधारण) के भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) में पृष्ठ 1271 पर अधिसूचना एस. ओ. सं. 254(ई), दिनांक 24-3-77 द्वारा प्रकाशित किया गया और समय-समय पर संशोधित किया गया । अंतिम संशोधन सं. नि. (नि.) आ., 77/एएम(336), दिनांक 18-2-87 भाग-2, खंड-3, उपखंड (ii) द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

New Delhi, the 25th February, 1987

EXPORT TRADE CONTROL

121|No. E(C)O, 1977|AM(337).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

1. (1) This Order may be called the Export (Control) Sixth Amendment Order, 1987.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Schedule III, in OGL No. 3, against serial number 87, under column 4, for the existing condition, the following condition shall be substituted, namely :—

"Export allowed against registration of contracts with the Basic Chemicals, Pharmaceuticals and Cosmetics Exports Promotion Council."

[File No. 48(5)/85-EII]

R. L. MISRA, Chief Controller of Imports & Exports

FOOTNOTE :

Principal Order i.e. Exports (Control) Order, 1977, published vide Notification S.O. No. 254(E) dated 24-3-1977, published in Gazette of India 1977, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), Page 1271, as amended from time to time.

The last Amendment made vide E(C)O, 1977/AM(336) dated 18-2-1987 in Part II, Section 3, Sub-section (ii).

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987